- सहायक नियम 157–क (2) तथा शासकीय ज्ञाप संख्या सा–4–526 / दस–96–201 / 76, दिनांक 19 अगस्त 1996
- प्राधिकृत चिकित्सा प्राधिकारी की सिफारिश पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा साठ दिन तक की छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। इस अवधि से अधिक छुट्टी तब तक स्वीकृत नहीं की जा सकती है जब तक सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान न हो जाय कि आवेदित छुट्टी की समाप्ति पर सरकारी कर्मचारी के कार्य पर वापस आने योग्य हो जाने की समुचित सम्भावना है।
- जहां किसी सरकारी कर्मचारी की अपनी बीमारी के उपचार के दौरान मृत्यु हो जाती है और ऐसे सरकारी कर्मचारी को चिकित्सा अवकाश अन्यथा देय हो तो छुट्टी स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करेगा।

चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अधिकृत चिकित्सकों का निर्धारण

अधिकारी / कर्मचारी	प्राधिकृत चिकित्सक
समूह क के अधिकारी	• मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य / रोग से संबंधित विभाग के प्रोफेसर • मुख्य चिकित्सा अधिकारी • राजकीय अस्पताल के प्रमुख / मुख्य / वरिष्ठ अधीक्षक • राजकीय अस्पताल के मुख्य / वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट / कन्सल्टेन्ट
समूह ख के अधिकारी	• मेडिकल कालेज के रोग से संबंधित विभाग के प्रोफेसर / रीडर • राजकीय अस्पताल के प्रमुख / मुख्य / वरिष्ठ अधीक्षक • राजकीय अस्पताल के मुख्य / वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट / कन्सल्टेन्ट
समूह ग व घ के कर्मचारी	• मेडिकल कालेज के रोग से संबंधित विभाग के रीडर / लेक्चरर • राजकीय चिकित्सालयों / औषधालयों / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत समस्त श्रेणी के चिकित्साधिकारी

शासनादेश संख्या 761 / 45–7–1147, दिनांक 22 अप्रैल, 1987 तथ
शासनादेश संख्या 865 / 5–7–149 / 76, दिनांक 6 मई, 198

- अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सकीय प्रमाण पत्र पर अवकाश या अवका के प्रसार के लिए दिये गये आवदेन पत्र के साथ निम्न प्रपत्र पर किसी सरक चिकित्साधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र लगा होना चाहिए

सहायक नियम

Awanindra 14 @gmail.